यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
ice of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
ne / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

ांकः– 1789 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 23/10/ 2020

 में,

पत्र सं 1676
फाइल सं० [illegible]
दिनांक -2-11-20

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
गौचर।

यः:– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग –नौटी– पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.6 है0. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

दर्भः– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1425 (1)/X-3-20/1(154)2020 दिनांक 07–10–2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के क्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। शर्त के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा न0पी0वी0 की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी है:–

क्रसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)/ पौधों की संख्या	दर प्रति पौध/है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	100 पौध	1331.00	1,33,100.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व.2)	0.6 है0	6,57,000.00	3,94,200.00

उक्त के अतिरिक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित

प्रतिलिपिः– निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 987/12–1 दिनांक 16–10–2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

2 H/1676/[illegible] दि 6-11-20
[illegible] सं०अ० [illegible]
सूचनार्थ प्रेषित।

EE 6/11/2020